भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 506

जिसका उत्तर 06.02.2025 को दिया जाना है

सड़क निर्माण में निवेश

506. श्री दिनेशभाई मकवाणा:

श्री धर्मबीर सिंहः

श्रीमती शोभनाबेन महेन्द्रसिंह बारैया :

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) निवेशकों के हितों का प्रबंधन करने तथा 500 करोड़ रुपये तक के अधिक अंशदान को बनाए रखने के लिए ग्रीन शूआप्शन के साथ बंद बोली प्रणाली के तहत न्यायसंगत आवंटन सुनिश्चित करने के लिए किस प्रकार योजना बना रहा है;

(ख) यह पहल भारत के व्यापक निरंतरता और जलवायु परिवर्तन लक्ष्यों के साथ किस प्रकार संरेखित है; और

(ग) क्या इन पर्यावरण अनुकूल उपायों के लिए दीर्घकालिक रखरखाव और प्रभावशीलता के लिए प्रावधान हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने सितंबर 2022 से कोई बाजार से उधार नहीं लिया है क्योंकि सरकार ने सितंबर 2022 से एनएचएआई द्वारा बाजार से ऋण/उधार जुटाने के लिए कोई अधिदेश नहीं दिया है। तदनुसार, एनएचएआई के पास किसी भी बांड या अन्य साधन के माध्यम से निधि जुटाने की कोई योजना नहीं है।

तथापि, मैसर्स डीएमई डेवलपमेंट लिमिटेड (एनएचएआई का एसपीवी) ने दिसंबर 2024 में 'ग्रीन बॉन्ड' के माध्यम से 775 करोड़ रूपये की धनराशि जुटाई है।

डीएमई डेवलपमेंट लिमिटेड द्वारा ग्रीन बॉन्ड जारी करने को एनएचएआई द्वारा सभी ऋणदाताओं को जारी किए गए बिना शर्त और अपरिवर्तनीय "लेटर ऑफ कम्फर्ट" द्वारा सहयोग दिया गया है। तदनुसार, निवेशकों के हितों की रक्षा की गई है।

इस विषय को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड के इलेक्ट्रॉनिक बिडिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से निजी प्लेसमेंट पर बंद बोली प्रणाली द्वारा प्रदान किए गए मानदंडों के तहत समान रूप से आवंटित किया गया है। डीएमई विषय को सेबी के दिशानिर्देशों द्वारा भी विनियमित किया गया था।

(ख) परियोजना में किए गए हरित कार्यकलापों के तीसरे पक्ष द्वारा सत्यापन किए जाने के बाद ही सेबी द्वारा डीएमई डेवलपमेंट लिमिटेड को ग्रीन बॉन्ड जुटाने की अनुमति दी गई है। इन गतिविधियों का पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जैसे कि जानवरों के लिए अंडरपास, स्वच्छ नवीकरणीय ऊर्जा, उत्सर्जन कम करना,

वृक्षारोपण, अपशिष्ट पुनर्चक्रण, फ्लाई ऐश का उपयोग आदि। ये गतिविधियां संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) और उसके बाद देश स्तर के स्थिरता लक्ष्यों के अनुरूप हैं।

(ग) जी, हां। इन उपायों की प्रभावशीलता बनाए रखने के लिए, डीएमई डेवलपमेंट लिमिटेड /एनएचएआई ने इसके आसपास सुदृढ़ शासन की व्यवस्था की है, जैसे कि प्रत्येक गतिविधि के लिए प्रमुख निष्पादन संकेतक (केपीबाई) परिभाषित करना ताकि उसके कारण होने वाले प्रभाव को मापा जा सके। एनएचएआई / डीएमई डेवलपमेंट लिमिटेड द्वारा इन केपीआई की बारीकी से निगरानी की जाती है।

*****